न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, नालन्दा, बिहारशरीफ ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 1672/2025

श्याम कुमार उर्फ श्याम किशोर बनाम बिहार सरकार

बिहार थाना कांड सं0 910/2023

अंतर्गत धारा 341, 323, 326, 307, 302/34 एवं 25(1–बी)ए 26, 27 शस्त्र अधिनियम ।

10.03.2026

दिनांक 30.10.2025 से कारावासित अभियुक्त **श्याम कुमार उर्फ श्याम किशोर** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार वर्मा एवं विद्वान लोक अभियोजन श्री अनुज कुमार एवं सूचक की ओर से उनके निजी विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना।

सूचक गणेश कुमार द्वारा दिनांक 18.10.2023 को 15:30 बजे सदर अस्पताल, बिहारशरीफ में पुलिस के समक्ष दिये अपने फर्द बयान में कहा है कि वे दिनांक 08.10.2023 को 10:00 बजे अपने बड़े भाई राजीव कुमार उर्फ मुन्ना एवं मंझले भाई विनय कुमार उर्फ बिहारी के साथ अपने बाबा से मिलने के लिए उनके आवास पर गये थे । सुबह में सूचक के चाचा सुरेश प्रसाद का बेटा श्याम किशोर अपने मोबाईल नं0 9504701206 से फोन कर सूचक एवं उसके पिता को गाली दिया और बोला कि हिम्मत है तो एतवारी बाजार रूम पर आकर फैसला कर लो । जब तीनों ने दरवाजा खुलवाया तो शम्भु कमार बोला कि लाओ लाठी तीनों भाई आ गया है । उसके बाद श्याम किशोर ने पिस्तौल से सूचक के बड़े भाई राजीव कुमार उर्फ मुन्ना के उपर फायर किया जो उनके कान के बगल से निकल गया । शम्भु कुमार सूचक पर गोली चला दिया जो उसके दाहिने गाल को फाड़ते हुए निकल गया । श्याम कुमार पिस्तौल से विनय कुमार उर्फ बिहारी के सर पर पिस्तौल सटा कर फायर कर दिया जो वहीं तड़पने लगे और दम तोड़ दिये । सोनू कुमार ने सूचक पर पिस्तौल से फायर किया लेकिन उसे पकड़ लिया तो गोली उसके पंजे में लगा और जख्मी हो गया और सूचक अपने बड़े भाई को मृत छोड़कर भाग गया । आसपास के सहयोग से वहां गया तो देखा कि शम्भु कुमार, श्याम किशोर, सोनू मौके से भाग गये और सूचक के मृत भाई के पास पिस्तौल छोड़ दिया । सूचक ने आगे कहा कि मेरा चचेरा भाई श्याम किशोर पढ़ाई के लिए उसके पापा से तीन लाख पच्चास हजार रुपया लिया था जिसे सूचक के पापा वापस मांग रहे थे तो श्याम किशोर और उसका भाई शम्भु कुमार सूचक के पापा के साथ गाली–गलौज करते थे, जिसके कारण वाद–विवाद होते रहता था । सूचक के पापा के नाम से 10 कट्ठा जमीन ग्राम मुसेपुर में है, जिसमें उसके चाचा हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन सूचक के पापा कहते थे जमीन मेरे नाम से है किसी को हिस्सा नहीं देंगे ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष है। उसे झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । उभय पक्षों के बीच पूर्व

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, नालन्दा, बिहारशरीफ ।
नियमित जमानत आवेदन संख्या 1672/2025
श्याम कुमार उर्फ श्याम किशोर बनाम बिहार सरकार
बिहार थाना कांड सं0 910/2023
अंतर्गत धारा 341, 323, 326, 307, 302/34 एवं 25(1–बी)ए 26, 27 शस्त्र अधिनियम ।

लगातार

10.03.2026

से जमीनी संबंधी विवाद है । उनका यह भी कथन है कि प्राथमिकी तथा जप्त सूची देखने से पता चलता है कि घटना का स्थान कहीं भी उल्लेखित नहीं है और न ही यह बताया गया है कि मामले से संबंधित कौन सी सामाग्री बरामद की गई है । घटना के समय आवेदक के दादा सोहराई यादव घटनास्थल पर मौजूद थे इसलिए वह इस मामले के चश्मदीद गवाह हैं और वे घटना के सही तथ्यों का खुलासा करेंगे । सूचना देने वाले दादा ने भी भी सूचना देने वाले और अन्य लोगों के विरूद्ध एक मामला बिहार थाना कांड सं0 100/2024 अंतर्गत धारा 323, 326, 307, 302 भा0 द0 वि0 एवं 25(1–बी)ए 26/27 शस्त्र अधिनियम दर्ज कराया गया है । सूचक ने आवेदक तथा उसके परिवार को हमेशा परेशान करते रहते हैं । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । वह दिनांक 30.10.2025 से न्यायिक हिरासत में है । अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक तथा सूचक के विद्धान अधिवक्ता आवेदक के उक्त आवेदन का विरोध करते हैं तथा कथन करते है कि आवेदक पिस्तौल से विनय कुमार उर्फ बिहारी के सर पर पिस्तौल सटा कर फायर कर दिया जो वहीं तड़पने लगे और दम तोड़ दिये । आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध है । अतः इनके जमानत आवेदन को खारिज किया जाय ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख, कांड दैनिकी तथा संबंधित विचारण न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अन्य –सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक सहित उनके तीनों भाई को गोली मारने से गंभीर रूप से जख्मी होने तथा विनय कुमार उर्फ बिहारी की मृत्यु घटनास्थल पर हो जाने का आरोप है । यह भी विदित होता है कि कांड दैनिकी के पैरा 04 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है । पैरा 05 में जप्ती सूची है, जिसमें मृतक विनय कुमार उर्फ बिहारी के पैर के पास से एक देशी सिक्सर, जिसे अनलोड करने पर चेम्बर में चार जिंदा करतूस, एक मिस फायर कारतूस तथा शव के पास से खून लगा हुए एक चिपटा पिलेट बरामद हुआ है । कांड दैनिकी के पैरा 12, 13, 14, 23 में साक्षियों का बयान का उल्लेख है, जिन्होंने घटना का समर्थन किये हैं । कांड दैनिकी के पैरा 32 में मृतक विनय कुमार उर्फ बिहारी का अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें चिकित्सक द्वारा In my opinion the caue of death is

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, नालन्दा, बिहारशरीफ ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 1672 / 2025

श्याम कुमार उर्फ श्याम किशोर बनाम बिहार सरकार

बिहार थाना कांड सं0 910 / 2023

अंतर्गत धारा 341, 323, 326, 307, 302 / 34 एवं 25(1–बी)ए 26, 27 शस्त्र अधिनियम ।

लगातार

10.03.2026

hemorrhage and shok due to head injury caused by firearm injury. का मंतव्य दिया गया है । आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो गया है तथा आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है । इस तरह आवेदक पर मृतक के सर में पिस्तौल सटाकर फायर करने से मृत्यु हो जाने का विशिष्ट आरोप है । आवेदक के विरूद्ध जघन्य प्रकृति का अपराध है । ऐसी परिस्थिति में इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदक **श्याम कुमार उर्फ श्याम किशोर** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश,
बिहारशरीफ, नालन्दा ।